न्यायालय: ए०सी०जे०एम० प्रथम, सहारनपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या–1306/2026
अन्जु बनाम प्रिंस
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित
धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023
थाना–कोतवाली देहात, सहारनपुर।

19.06.2026

पत्रावली आज प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 पर वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 पर सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक बेसहारा औरत है तथा प्रार्थीया का अपने पति के साथ आपसी मनमुटाव चल रहा है तथा प्रार्थीया के पति की मानसिक हालत भी सही नही है। जिस बात का फायदा उठाकर विपक्षी प्रिंस पुत्र जसविन्दर निवासी ग्राम लाखनौर, थाना नांगल, जिला सहारनपुर, मोबाईल नंम्बर–8171938742 ने प्रार्थीया के घर पर आने जाने लगा। प्रार्थीया को शादी करने का झूठा झांसा देने लगा और कहने लगा कि मैं तेरा समस्त उठाउंगा। प्रार्थीया के मना करने के बावजूद भी विपक्षी प्रार्थीया के घर देर सवेर किसी भी समय आने जाने लगा। सन 2022 मे विपक्षी प्रार्थीया के घर पर आया और प्रार्थीया को प्रार्थीया की दोनो पुत्रियो के सामने शादी करने व प्रार्थीया की दोनो पुत्रियों की देखभाल करने का झांसा दिया तथा तभी से विपक्षी प्रार्थीया के साथ शादी का झूठा झांसा देकर प्रार्थीया की बिना मर्जी के जबदस्ती शारीरिक संम्बन्ध बनाने लगा। सन 2023 में प्रार्थीया की मर्जी के बिना विपक्षी द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीया के साथ शारीरिक संम्बन्ध बनाने के कारण प्रार्थीया गर्भवती हो गयी थी। जिस बात का विपक्षी को पता चलने पर प्रार्थीया के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही अपनी काली करतूत को छिपाने के भय से गर्भपात की गोली खिलाकर प्रार्थीया का दिनांक–21.11.2023 ई0 को गर्भपात करा दिया था तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट व गाली गलोच करना शुरू कर दिया। दिनांक–29.08.2024 ई० को प्रार्थीया अपने घर पर अकेली थी। प्रार्थीया की दोनो पुत्रियाँ ट्यूशन पढने के लिए गयी हुई थी। विपक्षी ने प्रार्थीया को कमरे से जबरदस्ती बंद करके प्रार्थीया के दोनो हाथ बैड से बांध दिये थे और प्रार्थीया को पूर्णरूप से नंग्न कर प्रार्थीया के साथ जबदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध सेक्सवर्धक दवा का सेवन कर प्रार्थीया के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार किया और प्रार्थीया के साथ इस दौरान बीच बीच मे बुरी तरह से मारपीट भी की। विपक्षी द्वारा कारित की गयी इस घटना की पूरी विडियों अपने मोबाईल फोन में कैद कर ली और आजतक उक्त बनायी गयी विडियो के आधार पर विपक्षी प्रार्थीया को ब्लेकमेल कर बलात्कार करता चला आ रहा है। प्रार्थीया द्वारा कई बार विपक्षी के खिलाफ थाना हाजा पर शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थीया ने दिनांक–17.04.2026 ई० को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर को पंजीकृत डाक के माध्यम से एक शिकायती प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संम्बन्ध मे दिया था जिस पर विपक्षी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आजतक नही हुई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक महोदय, सहारनपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति व मूल डाक रसीद संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 स्वीकार कर सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करायी जाये।

प्रार्थी, के प्रार्थनापत्र के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। पुलिस आख्या के अनुसार थाना हाजा पर उक्त सन्दर्भ में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी ने प्रार्थीया के साथ शादी का झूठा झांसा देकर प्रार्थीया की बिना मर्जी के जबदस्ती शारीरिक संम्बन्ध बनाने लगा। सन 2023 में प्रार्थीया की मर्जी के बिना विपक्षी द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीया के साथ शारीरिक संम्बन्ध बनाने के कारण प्रार्थीया गर्भवती हो गयी थी। जिस बात का विपक्षी को पता चलने पर प्रार्थीया के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही अपनी काली करतूत को छिपाने के भय से गर्भपात की गोली खिलाकर प्रार्थीया का दिनांक–21.11.2023 ई0 को गर्भपात करा दिया था तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट व गाली गलोच करना शुरू कर दिया। दिनांक–29.08.2024 ई० को विपक्षी ने प्रार्थीया को कमरे से जबरदस्ती बंद करके प्रार्थीया के साथ जबदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध सेक्सवर्धक दवा का सेवन कर प्रार्थीया के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार किया और प्रार्थीया के साथ इस दौरान बीच बीच में बुरी तरह से मारपीट भी की। इसलिए उक्त प्रकरण में विवेचना कराया जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण का सच न्यायालय के समक्ष लाया जा सके। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन० एस०एस० 2023 में विवेचना कराना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनानुसार उचित धाराओं सात दिवस के भीतर में प्रथमसूचना रिपोर्ट अंकित करना सुनिश्चित करें तथा न्यायिक निर्णयन **17410/2011 Shaukin Vs. State of Uttar Pradesh का पूर्ण अनुपालन करते हुए उक्त** प्रकरण की विवेचना करवायें। समय सीमा के अन्दर मुकदमा दर्ज करने के उपरान्त इस न्यायालय को सूचित करें।

कार्यालय लिपिक इस आदेश की प्रतिलिपि, प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा–175(3) बी०एन०एस०एस० 2023 की प्रतिलिपि सहित अनुपालन हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अविलम्ब प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

(आस्था श्रीवास्तव)
ए०सी०जे०एम० प्रथम,
सहारनपुर।